रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269565
SG-DL-E-27012026-269565

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, सोमवार, 19 जनवरी19, 2026/पौष 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 418
No. 21]	DELHI, MONDAY 19 JANUARY, 2026/PAUSHA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 418

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

गृह– डीओपी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी 2026

फा. सं. 11/09/गृह–डीओपी/2025/31-38. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर 1968 की अधिसूचना फा0 सं0 24/78/68–डीएच(एसद्ध के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायकलोक अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, फा0 सं0 11/19/2020/गृह–डीओपी/आर0आर0–IV/ 502–510, दिनांक 20 दिसंबर 2021 के अधिक्रमण में, तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कुछ भी की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''सहायक लोक अभियोजक'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(प) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सहायक लोक अभियोजक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि**:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचावः**— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	सहायक लोक अभियोजक
2.	**पदों की संख्या**	:	265* (2025) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, वर्ग 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 10 (रुपये 56100—177500/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों व अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** :— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य योग्यता :** (क) किसी मान्यता—प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री। (ख) बार में तीन वर्षों का अनुभव। **वांछनीय योग्यता** : लागू नहीं **अनुभव** : सरकारी अधिवक्ता के रूप में अनुभव। **योग्यता मानक टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **अनुभव मानक टीप** : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के

			विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो (02) वर्ष अभ्युक्ति : केंद्र सरकार द्वारा यथाविनिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सीधी भर्ती वालेउम्मीदवारों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप** :पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए हुई रिक्तियां केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं। (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के पदों में 03 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। **टीप :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति :** 1. वित्तीय आयुक्त, रा0रा0क्षे0दि0स0 –**अध्यक्ष** 2. प्रधान सचिव/सचिव (गृह) –**सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्रशा0वि0) –**सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार शर्मा, उप–सचिव (गृह)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(**Home-Dop Department**)

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2026

No. F.11/09/H-DOP/31-38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No. F.11/19/2020/H-DOP/RR-IV/502-510 dated the 20th December, 2021 Recruitment Rules is so far as they relate to the post of Assistant Public Prosecutor, and anything done or omitted to be

done before such supersession,, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the“**AssistantPublic Prosecutor”** in Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**–

(i) These rules may be called theDirectorate of Prosecution,Government of National Capital Territory of Delhi, Assistant Public ProsecutorRecruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Application: -**These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix –** The number of the said post, its classification and pay level in pay matrixattached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc:-**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall not be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving: -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection or Non Selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other Qualification required for direct recruits**
1	2	3	4	5	6	7
ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR	265* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group ‘A’	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 35 years (relaxable for government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note: The	Essential:- Qualification: a). A Degree in Law from a Recognized University/Institute. b). Three years of experience at the Bar. Desirable Qualification :- N/A Experience : Experience as

					crucial date for determining the age limit shall be advertised by UPSC.	government advocate **Qualification Standard Note**: Qualification are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience Standard Note**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
8	9	10	11	12	13
Age: Not Applicable Edu. Qual.: Not Applicable	2 Years Remarks: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100% by Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt./State Govt./ Union Territories. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 03 years of regular service in posts in level 8 of the pay matrix; and (b)	Not Applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee** 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi: Chairman 2. rincipal Secretary/Secretary (Home) – Member 3. pecial/Addl. Secretary (GAD) - Member	Consultation with UPSC is necessary.

		Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7. Note: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.			

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.27 10:27:32 +05'30'